कार्यालय जिलाधिकारी,बाराबंकी।

संख्याः कोविड–19 / 2021 7070 दिनांकः 08 मई 2021

प्रबन्धक,
शेरवुड हास्पिटल
सफेदाबाद बाराबंकी।

अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्याःकोविड–19 / 2021 / 333, दिनांकः 22 अप्रैल 2021 के द्वारा आपको 10 आक्सीजन कन्सनट्रेटर कोविड संक्रमित मरीजों को उपचार हेतु आपके चिकित्सालय को उपलब्ध कराये गये।

वर्तमान में जिला चिकित्सालय बाराबंकी को कोविड चिकित्सालय के रूप में संचालित किया जा रहा है, जिसमें उक्त आक्सीजन कन्संट्रेटर जिला चिकित्सालय में कोविड संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु आवश्यकता है।

अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल उपरोक्त आक्सीजन कन्सनट्रेटर सी0एम0एस0डी0 स्टोर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाराबंकी को वापस करना सुनिश्चित करे।

यदि आप द्वारा दिनांकः 09 मई 2021 तक उपरोक्त आक्सीजन कन्सनट्रेटर सी0एम0एस0डी0 स्टोर को वापस नही किया जाता है कि तो प्रतिदिन प्रति आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर रू 200/– की दर से शुल्क वसूल करते हुए अतिरिक्त अर्थदण्ड भी अधिरोपित किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। कोविड–19 (कोरोना वायरस) सक्रंमण के प्रसार को रोकने हेतु दिये गये निर्देशो का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित न करने पर उत्तर प्रदेश महामारी अधिनियम 1897 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या–45 सन् 1860) की धारा–188 के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया समझा जायेगा।

(डा0आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी
बाराबंकी।
दिनांकित।

संख्याः कोविड–19 / 2020

प्रतिलिपि निम्न को सादर सूचनार्थ प्रेषित–ः

1. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल अयोध्या।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2. पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी
3. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी,बाराबंकी।
5. उप जिला अधिकारी, बाराबंकी नवाबगंज बाराबंकी
6. डा0 उपेन्द्र कुमार, नोडल चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ उपरोक्त पत्र सबंधित को प्राप्त कराते हुए राजकीय आक्सीजन कन्सनट्रेटर, सी0एम0एस0डी0 स्टोर में प्राप्त कराना सुनिश्चित करें।
7. अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, भण्डार बाराबंकी।

जिलाधिकारी
बाराबंकी